अनुमंडल कार्यालय, सदर आरा, भोजपुर।

विकास मित्र के रिक्त पदों पर नियुक्ति संबंधी सूचना।

मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना के पत्रांक– 750 दिनांक– 13.03.2021 एवं पत्रांक– 1272 दिनांक– 02.05.2023 के आलोक में जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक– 2256/क0 दिनांक– 10.11.2023 में अंकित निदेश के अनुपालन में सदर आरा, अनुमण्डल में रिक्त विकास मित्र के पदों पर निर्धारित आरक्षण वर्ग के अनुरूप अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है। विकास मित्र चयन/नियोजन की प्रक्रिया विकास मित्र चयन मार्गदर्शिका के अनुरूप सम्पन्न की जायगी। रिक्त पद एवं आरक्षित वर्ग की स्थिति निम्नवत है :–

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	पंचायत/वार्ड का नाम	रिक्तियों की संख्या	जातिगत बहुलता	आरक्षित वर्ग
1	2	3	4	5	6
01	आरा नगर	वार्ड – 16	01	चमार	सामान्य
		वार्ड – 34	01	मुसहर	सामान्य
02	आरा ग्रामीण	मखदुमपुर, डुमरा	01	चमार	महिला *
03	उदवंतनगर	बामपाली	01	मुसहर	महिला
		नवादाबेन	01	मुसहर	सामान्य
		सोनपुरा	01	चमार	सामान्य *
04	सहार	कोरन डिहरी	01	चमार	सामान्य

चयन हेतु अहर्ता :–

01. आवेदक संबंधित पंचायतों में पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार की जाति बहुलता से होंगे।
02. जिला पंचायत में विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा।
03. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी।
04. आयू सीमा– आवेदक का उम्र विज्ञापन की तिथि को न्यनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
05. नियोजन की अवधि :– विकास मित्र का नियोजन 60 वर्ष तक कार्य किए जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। विकास मित्र सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे।

आवेदक आवेदन करने के पूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय से अपने पंचायत से महादलित जाति बहुलता जानकारी प्राप्त कर सकतें है। तद्नुसार योग्य अभ्यर्थी नगर आयुक्त, आरा नगर निगम, आरा एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आरा सदर/उदवंतनगर/सहार के कार्यालय में दिनांक – 06.08.2024 से 21.08.2024 तक किसी भी कार्य दिवस में आवेदन कर सकते है। विस्तृत जानकारी बेबसाईट state.bihar.gov.in/prdbihar एवं जिला के वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

* मिशन निदेश, बिहार महादलित विकास मिशन के ज्ञापांक– वि0एम0वि0एम0 05–02/16–1414 दिनांक– 02.07.2024 के आलोक में नियोजन से संबंधित मामला किसी न्यायालय में लम्बित होने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा स्पष्ट रूप में नियोजन प्रक्रिया स्थगित रखने का आदेश के अभाव में नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है और साथ ही नियोजन पत्र में निम्न शर्त का उल्लेख करते हुए चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।

(CWJC NO- …………… के आलोक में यह नियोजन पूर्णतः औपबंधिक है। उक्त वाद में माननीय न्यायालय के निर्णय से यह नियोजन प्रभावित होगा)

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर, आरा